

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका - 1.1; पृष्ठ 2)

झारखण्ड का परिचय						
क. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा	
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	क.	2001 के जनगणना के अनुसार			2.69 करोड़	
	ख.	2010-11			3.30 करोड़	
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) ² (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)				36.9 प्रतिशत	
5	क.	साक्षरता ³ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80%)			44 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73%)			66.4 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ 2016 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 34 प्रति 1000 जीवित जन्म)				29	
7	मानव विकास सूचकांक ⁵					
	क.	1999-2000 (अखिल भारतीय = 0.387)			उपलब्ध नहीं	
	ख.	2007-2008 (अखिल भारतीय = 0.467)			0.376	
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2017-18 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 2,55,271 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2008-09 से 2017-18)		झारखण्ड	11.1 प्रतिशत		
			सामान्य श्रेणी राज्य	13.1 प्रतिशत		
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2008-09 से 2017-18) ⁶		झारखण्ड	12.6 प्रतिशत		
			सामान्य श्रेणी राज्य	14.5 प्रतिशत		
11	जनसंख्या वृद्धि ⁷ (2008-09 से 2017-18)		झारखण्ड	12.7 प्रतिशत		
			सामान्य श्रेणी राज्य	11.6 प्रतिशत		
ख. वित्तीय आँकड़ा⁴						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
			2008-09 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
	सी.ए.जी.आर.		सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1	क	राजस्व प्राप्तियों का	15.1	17.21	11.3	12.12
2	ख	कर राजस्व का	14.9	17.13	12.2	(-)7.11
3	ग	गैर कर राजस्व का	9.5	13.43	5.9	46.65
4	घ	कुल व्यय का	15.8	16.97	4.7	13.04
5	ङ	पूँजीगत व्यय का	14.0	17.20	1.0	10.05
6	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.5	13.31	6.2	(-)1.61
7	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.2	16.83	10.7	29.52
8	ज	वेतन एवं मजदूरी का	13.4	10.74	8.9	25.70
9	झ	पेंशन का	16.2	19.60	22.9	43.00

¹ सेंसस इंडो इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या

² आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2017-18, (जनवरी 2018) भाग II, पृष्ठ ए 160-161

³ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2017-18, (जनवरी 2018) भाग II, पृष्ठ ए 155

⁴ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2017-18, (जनवरी 2018) भाग II, पृष्ठ ए 151

⁵ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2017-18, (जनवरी 2018) भाग II, पृष्ठ ए 151

⁶ भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 पुनरीक्षित) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानन पर तकनीकी समूह का प्रतिवेदन तालिका-14 (1 अक्टूबर 2001-26 को लिंगवार अनुमानित कुल जनसंख्या)

⁷ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई 2018 को जारी स.रा.घ.उ. विवरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा के संबंध में 2017-18 के स.रा.घ.उ. आँकड़े संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों से प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ : कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग-II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग-III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उंचत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग ग: वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष हैं, जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरणी-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2017-18 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2018 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2017-18 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियाँ, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2
वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18			
	भाग - क: राजस्व					स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल	
47053.93	I. राजस्व प्राप्तियाँ		52756.03	45089.03	I. राजस्व व्यय	27952.98	22999.09	50952.07	50952.07
13299.25	कर राजस्व		12353.44	13023.75	सामान्य सेवाएँ	16105.90	452.41	16558.33	
				18557.37	सामाजिक सेवाएँ	6834.83	12740.14	19574.97	
5351.41	कर-भिन्न राजस्व		7846.67	7977.83	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	4698.17	3267.57	7965.74	
				1967.69	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1021.13	1527.59	2548.72	
19141.92	संघीय करों में राज्य के हिस्से		21143.63	4103.9	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	346.50	4337.27	4683.77	
1875.29	गैर-योजना अनुदान	वित्त आयोग अनुदान	1583.03	132.1	सूचना एवं प्रसारण	96.89	88.77	185.66	
6972.89	राज्य योजना हेतु अनुदान	राज्य को अन्य अनुदान	1844.02	1311.94	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	129.53	955.44	1084.97	
593.16	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	7985.24	131.39	श्रम एवं श्रम कल्याण	60.61	50.29	110.90	
				2905.36	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	450.40	2513.21	2963.61	
				27.16	अन्य	31.60	0.00	31.60	
				13507.91	आर्थिक सेवाएँ	5012.23	9806.54	14818.77	
				2206.18	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	581.85	1435.00	2016.85	
				7246.95	ग्रामीण विकास	583.29	5461.58	6044.87	
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
				322.76	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	387.23	10.96	398.19	
				1754.63	ऊर्जा	3004.06	1526.06	4530.12	
				316.89	उद्योग एवं खनिज	64.67	200.16	264.83	
				445.59	परिवहन	288.97	241.96	530.93	
				0.00	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	
				1214.91	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	102.16	930.82	1032.98	
				0.00	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	
				45089.03	कुल	27953.00	22999.10	50952.07	
0.00	II. खण्ड-ख में ले		0.00	1964.90	II. राजस्व				1803.96

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार										
प्राप्तियाँ				संवितरण						
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18				
	जाया गया राजस्व घाटा				आधिक्य खण्ड ख					
47053.93	कुल		52756.03	47053.93	कुल					52756.03
खण्ड ख										
1904.72	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		1947.85	0.00	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट					0.00
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		25.09	10860.68	IV. पूँजीगत परिव्यय	69.14	11883.60	11952.71	11952.71	
				589.61	सामान्य सेवाएँ	68.81	738.30	807.11		
				1532.02	सामाजिक सेवाएँ	0.33	1527.74	1528.07		
				253.50	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.00	360.27	360.27		
				511.55	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	309.49	309.49		
				354.72	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0.33	531.87	532.20		
				8.85	सूचना एवं प्रसारण	0.00	10.90	10.90		
				264.04	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	265.29	265.29		
				116.96	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	16.53	16.53		
				22.40	अन्य	0.00	33.39	33.39		
				8739.05	आर्थिक सेवाएँ	0.00	9617.53	9617.53		
				569.31	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0.00	607.33	607.33		
				2074.57	ग्रामीण विकास	0.00	2092.79	2092.79		
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00		
				1510.91	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1689.15	1689.15		
				0.00	ऊर्जा	0.00	0.00	0.00		
				5.00	उद्योग और खनिज	0.00	15.50	15.50		
				4504.99	परिवहन	0.00	5141.76	5141.76		

वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार										
प्राप्तियाँ				संवितरण						
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18				
				74.27	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	71.00	71.00		
38.46	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	42.41	42.41	1335.06	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	88.80	1762.87	1851.67	1851.67	
0.00	ऊर्जा परियोजनाओं से	0.00		1228.51	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0.00	1760.67	1760.67		
37.20	सरकारी सेवकों से	40.89		52.46	सरकारी सेवकों को	55.59	0.00	55.59		
1.26	अन्य से	1.52		54.09	अन्य को	33.21	2.20	35.41		
1964.89	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		1803.96	0	VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा	0.00	0.00	0.00	0.00	
7081.42	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		8136.85	2077.88	VII. लोक ऋण की वापसी					2949.50
0	वाह्य ऋण	0.00	0.00	0.00	वाह्य ऋण					
6847.13	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण		7905.24	1920.39	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण				2788.46	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन		0.00	0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन				0.00	
0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन		0.00	0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन				0.00	
234.29	केंद्र सरकार से ऋण व अग्रिम		231.61	157.49	केंद्र सरकार को ऋण व अग्रिम की वापसी				161.04	
	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00	0.00	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग					
	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0.00	0.00	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय					
22051.80	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		27833.30	16819.82	X. लोक लेखा संवितरण					22885.14
872.60	छोटे बचत एवं भविष्य निधि		1016.43	994.11	छोटे बचत एवं भविष्य निधि				949.91	
452.88	रक्षित निधि		401.00	70.13	रक्षित निधि				109.17	
300.58	उचंत एवं विविध		-163.21	330.96	उचंत एवं विविध				61.00	
9280.63	प्रेषण		10558.88	9310.76	प्रेषण				10466.40	
11145.11	जमा एवं अग्रिम		16020.20	6113.86	जमा एवं अग्रिम				11298.66	

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ					संवितरण				
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18			
0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन		0.00	0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन			0.00	
0.00	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष			1947.85	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			150.44	150.44
				0.00	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण			0.00	
				502.26	रिजर्व बैंक में जमा			-242.16	
				6.50	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			38.04	
				0.00	चिन्हित निधि का निवेश			0.00	
				1439.09	रोकड़ शेष का निवेश			354.56	
80095.22	कुल		92545.49	80095.22	कुल				92545.49

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.3 व 1.9.2; पृष्ठ 8 एवं 34)

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	26137(85)	31565(83)	40638(75)	47054(87)	52756(87)
(i) कर राजस्व	9380(36)	10350(33)	11478(28)	13299(28)	12353(23)
वस्तु एवं सेवाएँ कर	-	-	-	-	4124(34)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7305(78)	8070(78)	8999(78)	10549(80)	5715(46)
राज्य उत्पाद	628(7)	740(7)	912(8)	962(7)	841(7)
वाहनों पर कर	495(5)	660(6)	633(6)	682(5)	779(6)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	502(5)	531(5)	532(5)	607(5)	469(4)
भू-राजस्व	230(3)	84(1)	164(1)	240(2)	156(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
अन्य कर	219(2)	264(3)	237(2)	259(2)	270(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	3753(14)	4335(14)	5853(14)	5351(11)	7847(15)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	8939(34)	9487(30)	15969(39)	19142(41)	21144(40)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4065(16)	7393(23)	7338(18)	9262(20)	11412(22)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	25
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	23	33	31	38	42
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	26160	31598	40669	47092	52824
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	4703(15)	6690(17)	13245(25)	7081(13)	8137(13)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4597	6537	13080	6847	7905
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	316	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	106	153	165	234	231.61
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	30863	38288	53914	54174	60960
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	14275	20189	29037	22052	27833
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	45138	58477	82951	76225	88794
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	23472(82)	31795(83)	36553(70)	45088(79)	50952(79)
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6288(27)	12436(39)	15793(43)	22193(49)	22999(45)
गैर योजना/स्थापना	17184(73)	19359(61)	20760(57)	22895(51)	27953(55)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	9960(42)	10624(33)	12002(33)	13024(29)	16558(32)
सामाजिक सेवाएँ	8215(35)	11915(37)	14844(41)	18557(41)	19575(39)
आर्थिक सेवाएँ	5297(23)	9256(29)	9707(26)	13507(30)	14819(29)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11. पूँजीगत व्यय	4722(17)	5543(15)	8159(16)	10861(19)	11953(18)
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	4706(100)	5520(100)	8087(99)	10814(99)	11884(99)

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

गैर योजना/स्थापना	16(0)	23(0)	72(1)	47(1)	69(1)
सामान्य सेवाएँ	168(3)	326(6)	571(7)	590(6)	807(7)
सामाजिक सेवाएँ	924(20)	910(16)	1024(13)	1532(14)	1528(13)
आर्थिक सेवाएँ	3630(77)	4307(78)	6564(80)	8739(80)	9618(80)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	222(1)	824(2)	7480⁸(14)	1335(2)	1852(3)
13. कुल व्यय(10+11+12)	28416	38162	52192	57284	64756
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	1997	1880	2246	2078	2950
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1542(77)	1722(92)	2079(93)	1920(92)	2788(95)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	316(16)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	139(7)	158(8)	167(7)	158(8)	161(5)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	30413	40042	54438	59362	67706
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18. लोक लेखा संवितरण	14094	19277	27053	16820	22885
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	44507	59319	81491	75851	90591
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	2665	-230	4085	1966	1804
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	-2256	-6564	-11523⁹	-10192	-11933
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21-23)	358	-3635	-8203	-6020	-7271
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2614	2929	3320	4172	4662
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	6422	12404	14891	20332	20714
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	8	शून्य	शून्य	3	7
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	8	शून्य	शून्य	3	7
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.21	शून्य	शून्य	शून्य	0.21
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	188567	218525	206613	235560	255271
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	165816	186534	174881	194475	203358

⁸ उदय बॉण्ड पर राज्य की उधार राशियों से दिये गये ₹ 5,553 करोड़ की राशि का ऋण सम्मिलित है।

⁹ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटे की राशि कम हो जायेगी।

28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	37594	43569	56530	66827	77095
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	शून्य	शून्य	157	157	157
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	शून्य	शून्य	157	157	157
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	328	402	195	280	113
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	760	1824	2089	4778	1403
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.97	4.74	5.56	5.65	4.84
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.66	5.55	6.56	6.84	6.07
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.00	2.00	2.80	2.30	3.10
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.26	2.32	3.35	2.75	3.86
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.74	4.34	7.73	8.17	8.28
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.45	3.96	4.20	4.76	5.61
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	15.07	17.46	25.26	24.32	25.37
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	17.14	20.46	29.84	29.46	31.84
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	108.70	120.90	128.40	121.70	122.70
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.60	83.30	70.00	78.70	78.70
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	32.20	33.70	30.50	35.20	32.60
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	32.10	37.60	45.30	41.00	40.50
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	16.60	14.50	15.60	19.00	18.50
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	16.00	13.70	14.50	17.90	17.20
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.41	-0.11	1.98	0.83	0.71
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.61	-0.12	2.34	1.01	0.89
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-1.20	-3.00	-5.58	-4.33	-4.67
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-1.36	-3.52	-6.59	-5.24	-5.87
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.19	-1.66	-3.97	-2.56	-2.85

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.22	-1.95	-4.69	-3.10	-3.58
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	118.10	-3.50	-35.50	-19.30	-15.10
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.19	-1.66	-3.97	-2.56	-2.85
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.22	-1.95	-4.69	-3.10	-3.58
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	19.94	19.94	27.36	28.37	30.20
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	22.67	23.36	32.32	34.36	37.91
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	143.8	138.03	139.10	142.00	146.10
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	605	-376	-13468	-1924	-6009
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	6208	6593	14226	16773	उपलब्ध नहीं
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	100	103	109	111	111
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	20	20	43	47	31.7
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	189	787	7388	1236	1764.4
परिसंपत्तियाँ			57153	67419	77635
दायित्व			62291	74522	86542

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये।

(http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.aspz?statis=3&menu_id=82).

परिशिष्ट 1.4 भाग क
74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.1; पृष्ठ 25)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़कें व पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशमन सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
10	मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्मूलन
12	शहरी सुख सुविधाओं एवं सहूलियतों यथा पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; दाह संस्कार, श्मशान घाट तथा विद्युत शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, पशुओं पर क्रूरता का रोकथाम
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस पड़ाव व जन सुविधाओं सहित लोक सुविधाएँ
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.4 भाग ख

73^{वाँ} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यकलापों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.2; पृष्ठ 26)

क्र.सं.	कार्यकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि विस्तारण सहित कृषि	आंशिक
2	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्राम व कुटीर उद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौका जलमार्ग एवं यातायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत	नहीं
16	निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम	आंशिक
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय समेत शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पतालों, औषधालयों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	विकलांगों एवं मंदबुद्धि कल्याण सहित सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग विशेषकर अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव	आंशिक

परिशिष्ट 1.5
31 मार्च 2018 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 को	दायित्व	31.03.2018 को
48682.31	आंतरिक ऋण	53799.09
28280.21	ब्याज वाले बाजार ऋण	33087.68
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
10566.90	अन्य संस्थाओं से ऋण	11622.17
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
9828.83	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9082.87
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00
2162.28	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2232.86
0.00	1984-85 के पूर्व के ऋण	0.00
19.37	गैर योजना ऋण	17.57
2142.91	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2215.29
500	आकस्मिकता निधि	500
1075.67	लघु बचत भविष्य निधि आदि	1142.18
13647.49	जमा	18369.87
1259.21	रक्षित निधि	1551.04
0.00	अंतरण शेष	39.68
92.07	उचंत एवं विविध शेष	0.00
7103.25	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	8907.21
74522.28	कुल	86541.93
	परिसम्पत्तियाँ	
55033.98	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	66961.60
183.11	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	275.15
54850.87	अन्य पूँजीगत परिव्यय	66686.45
0.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0.00
17482.71	ऋण एवं अग्रिम	19291.97
16683.53	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	18444.20
789.48	अन्य विकास ऋण	823.36
9.7	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	24.41
4.94	अग्रिम	5.78
0.00	उचंत एवं विविध शेष	132.14
1947.85	नकद	150.44
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
502.26	रिजर्व बैंक में जमा	-242.16
0.00	जमा निधि का निवेश	0.00
6.5	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	38.04
1439.09	नकद शेष निवेश	354.56
52.80	प्रेषण शेष	0.00
0.00	सरकारी लेखे में घाटा	0.00

	(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा/आधिक्य		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य		
74522.28	कुल		86541.93

परिशिष्ट 1.2, 1.3 एवं 1.5 से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी

उक्त विवरणियों में दिये गये संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे की टिप्पणियों व व्याख्याओं के साथ पठित हैं। सरकारी लेखे जो मुख्यतः नकद आधारित हैं, सरकारी लेखा में घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है, स्थिति को वाणिज्यिक लेखांकन के उपार्जन आधार के विपरीत नकद आधार पर इंगित करता है। अतएव, भुगतये या प्राप्य मद अथवा हास या भंडार आँकड़ों में विचलन आदि, जैसे मद लेखाओं में अंकित नहीं किये जाते हैं। उचंत व विविध शेषों में निर्गत मगर भुगतान नहीं हुए चेक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान और अन्य लंबित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 1.6

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली
(संदर्भ: कंडिका 1.10.2; पृष्ठ 36)

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जवाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेतक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्प्लावकता गुणक को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

शब्दावली	गणना का आधार
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{पिछले वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष के राजकोषीय दायित्व}) * 100]$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों का प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{ऋण एवं अग्रिम का आरंभिक शेष} + \text{अंत शेष}) * 100]$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्ति - घाटा सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्ति - घाटा वृद्धिशील प्राथमिक राजस्व व्यय + वृद्धिशील ब्याज प्राप्ति

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक रहा
(संदर्भ: कडिका 2.4.1; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रवधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व दत्तमत					
1	1	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,550.39	711.47	45.89
2	2	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	375.42	159.93	42.60
3	3	भवन निर्माण विभाग	147.89	47.12	31.86
4	9	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	216.04	61.70	28.56
5	12	योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	83.77	40.70	48.58
6	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,346.34	428.72	31.84
7	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,519.16	981.45	27.89
8	23	उद्योग विभाग	466.96	233.69	50.04
9	26	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	241.70	108.09	44.72
10	27	विधि विभाग	415.05	119.29	28.74
11	29	खान एवं भूतत्व विभाग	115.73	79.35	68.56
12	39	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	792.92	269.69	34.01
13	41	सड़क निर्माण विभाग	551.66	260.47	47.22
14	42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5,575.70	2,233.57	40.06
15	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	421.43	109.39	25.96
16	45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	192.41	119.61	62.17
17	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,869.73	780.02	41.72
18	52	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	90.71	20.89	23.03
19	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	75.54	18.32	24.26
20	54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	308.98	133.51	43.21
21	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,747.35	590.63	33.80
22	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7,032.03	1,704.08	24.23
23	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,342.46	819.30	24.81
राजस्व भारित					
24	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	230.00	230.00	100.00
पूँजीगत					
25	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	26.00	16.90	64.98
26	8	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	111.11	22.84	20.56
27	12	योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	117.93	62.34	52.86
28	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	80.00	53.46	66.83
29	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	525.00	215.51	41.05
30	26	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	79.43	44.81	56.42
31	30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	116.01	49.64	42.79
32	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	456.35	124.09	27.19
33	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	440.78	111.81	25.37

34	45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	22.00	20.54	93.37
35	47	परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	31.13	14.56	46.76
36	49	जल संसाधन विभाग	1,911.06	681.00	35.63
37	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	667.48	208.39	31.22
38	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	366.44	167.53	45.71
39	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	64.00	20.19	31.54
40	57	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	42.00	40.00	95.24
41	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	23.00	22.57	98.13
42	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ शिक्षा प्रभाग)	25.00	25.00	100.00
43	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	64.00	47.47	74.17
कुल (राजस्व + पूँजीगत)			35,878.09	12,209.64	34.03

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 2.2

उपशीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान ठोस बचत (₹ 20 करोड़ व अधिक) हुआ
(संदर्भ: कंडिका: 2.4.1; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
1		2401-00-796-AF	86.40	86.18	कारण नहीं बताये गये हैं।
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-AF	57.60	50.98	कारण नहीं बताये गये हैं।
3		2401-00-800-AF	43.20	41.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
4		2401-00-800-AF	28.80	28.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
5		2401-00-796-B3	24.00	24.00	निधि के उपयोग की असंभाव्यता
6		2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-103-88	28.28	28.28
7	10-ऊर्जा विभाग	2801-06-800-01	50.00	50.00	संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया जाना
8	13-ब्याज भुगतान	2049-01-200-02	400.00	80.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
9		2049-01-200-11	70.00	24.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
10	14- ऋणों की वापसी	6003-00-109-01	110.00	30.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
11	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-39	276.36	47.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
12		3456-00-796-39	59.81	38.34	
13	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-03	133.79	42.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
14		2210-01-102-54	89.00	89.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
15		2210-01-103-45	30.68	30.68	कारण नहीं बताये गये हैं।
16		2210-01-103-56	37.00	37.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
17		2210-01-109-40	29.95	29.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
18		2210-01-110-57	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
19		2210-01-789-54	85.00	85.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
20		2210-01-796-54	80.00	80.00	योजना कार्यान्वित नहीं हुआ।
21		4210-01-796-35	20.00	20.00	निधि की माँग नहीं की गयी।
22		21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-62	40.00	22.24
23	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	251.57	47.00	सूचित नहीं किया गया।
24		4055-00-207-45	32.88	25.25	सूचित नहीं किया गया।
25		4055-00-207-77	100.00	20.00	सूचित नहीं किया गया।
26	23-उद्योग विभाग	2852-80-102-81	30.00	27.00	निधि का कम आहरण।
27	26- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-796-01	30.00	22.62	माँग नहीं किया गया।
28	39- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-02-113-02	35.00	30.20	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
29		2245-80-102-01	30.00	21.38	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
30		2245- 80-102-02	40.93	39.82	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
31		2245-01-101-02	30.00	30.00	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।

32		2245-01-101-06	20.00	20.00	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
33		2245-01-282-01	20.00	20.00	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
34	41- सड़क निर्माण विभाग	5054-03-337-02	106.00	45.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
35		2501-06-101-05	146.40	37.18	कारण नहीं बताये गये हैं।
36		2501-06-796-05	107.56	43.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
37	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-796-05	71.71	27.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
38	(ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-01-702-02	628.28	149.24	कारण नहीं बताये गये हैं।
39		2505-02-101-04	979.21	811.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
40		2505-02-101-04	102.00	50.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
41	42-ग्रामीण विकास विभाग	2505-02-789-04	299.76	248.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
42	(ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-02-796-04	719.42	596.34	कारण नहीं बताये गये हैं।
43		2505-02-101-04	25.42	25.42	कारण नहीं बताये गये हैं।
44	43-उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	4202-02-105-75	99.16	99.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
45		4202-02-796-75	34.84	34.84	कारण नहीं बताये गये हैं।
46	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-001-A8	50.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
47		2203-00-796-A8	65.00	22.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
48		2217-80-191-76	65.00	22.25	कारण नहीं बताये गये हैं।
49	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-76	65.00	33.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
50		2217-80-191-81	136.09	40.18	कारण नहीं बताये गये हैं।
51		2217-80-191-83	57.60	57.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
52		2217-80-192-84	20.24	20.24	कारण नहीं बताये गये हैं।
53	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-796-13	204.00	40.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
54		4701-80-796-54	143.05	31.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
55		4702-00-101-20	89.00	31.65	कारण नहीं बताये गये हैं।
56	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-796-18	227.83	31.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
57		4702-00-796-20	110.00	60.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
58		2225-01-789-59	53.00	37.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
59	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-796-59	106.00	37.72	कारण नहीं बताये गये हैं।
60		2225-02-796-61	40.00	23.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
61		2225-03-796-23	124.00	58.39	कारण नहीं बताये गये हैं।
62	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-05	43.00	32.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
63	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2515-00-001-28	200.00	78.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
64		4515-00-789-04	112.50	70.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
65		2515-00-001-03	160.46	20.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
66	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-54	38.00	22.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
67		2515-00-198-45	252.75	146.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
68	58-स्कूली शिक्षा एवं	2202-02-109-01	587.54	266.78	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

69	साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-05-200-04	49.82	45.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
70		2202-01-102-02	181.09	25.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
71		2202-01-111-25	508.80	171.73	कारण नहीं बताये गये हैं।
72		2202-01-789-25	115.20	28.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
73	59-स्कूली शिक्षा एवं	2202-01-796-25	336.00	169.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
74	साक्षरता विभाग (प्राथमिक	2202-01-101-59	42.00	42.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
75	एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-57	220.74	220.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
76		2202-01-789-57	93.50	93.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
77		2202-01-796-57	236.50	236.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
78		2202-01-796-59	45.15	45.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
79		2235-02-102-97	70.00	21.92	कारण नहीं बताये गये हैं।
80	60- महिला, बाल विकास	2235-02-796-97	70.00	21.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
81	एवं सामाजिक सुरक्षा	2236-02-101-02	147.60	24.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
82	विभाग	2236-02-796-02	172.80	69.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
83		2236-02-796-02	172.80	90.62	कारण नहीं बताये गये हैं।
			11,162.07	5,983.83	

परिशिष्ट 2.3

₹ 1.00 करोड़ व अधिक की बचत जो प्रत्यर्पित नहीं किये गये का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	बचत	प्रत्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	1-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	711.47	678.83	32.64
2	2-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	159.93	137.04	22.90
3	3-भवन निर्माण विभाग	47.12	40.19	6.92
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	10.72	8.77	1.95
5	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	4.60	2.42	2.18
6	9-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	61.70	4.57	57.13
7	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	40.70	14.33	26.37
8	14-ऋणों की वापसी	230.00	0.00	230.00
9	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	428.72	203.74	224.98
10	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	117.47	61.84	55.64
11	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	981.45	666.65	314.80
12	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	206.48	134.98	71.50
13	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	159.71	129.80	29.91
14	23-उद्योग विभाग	233.69	158.26	75.43
15	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	108.09	79.83	28.26
16	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	7.05	1.31	5.73
17	29-खान एवं भूतत्व विभाग	79.35	41.14	38.21
18	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	25.73	20.52	5.21
19	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	164.01	40.08	123.93
20	39-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	269.69	266.87	2.82
21	41-सड़क निर्माण विभाग	260.47	41.72	218.76
22	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2,233.57	1,280.36	953.21
23	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	109.39	90.29	19.10
24	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	119.61	90.02	29.60
25	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	430.42	277.53	152.89
26	49- जल संसाधन विभाग	70.89	42.83	28.05
27	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	780.02	384.99	395.03
28	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	133.51	132.24	1.26
29	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	226.92	225.32	1.60
30	57- नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	4.60	0.05	4.53
31	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	590.63	247.69	342.90
32	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	1,704.08	706.19	997.89
33	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	819.30	571.31	258.00
पूँजीगत				
34	3-भवन निर्माण विभाग	116.22	31.71	84.51
35	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	22.84	17.34	5.50
36	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	62.34	58.05	4.29
37	14-ऋणों की वापसी	107.67	48.67	59.00
38	17- वाणिज्य कर विभाग	6.86	0.00	6.86

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	बचत	प्रत्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
पूँजीगत				
39	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	53.46	8.46	45.00
40	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	215.51	107.79	107.72
41	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	85.90	84.90	1.00
42	29-खान एवं भूतत्व विभाग	2.00	1.00	1.00
43	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	49.64	30.11	19.52
44	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	124.09	41.71	82.38
45	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	4.40	2.98	1.41
46	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	20.54	18.54	2.00
47	47-पारिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	14.56	10.70	3.85
48	49-जल संसाधन विभाग	681.00	136.67	544.33
49	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	208.39	114.64	93.75
50	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	167.53	23.85	143.67
51	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	20.19	8.19	12.00
52	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	73.16	39.58	33.58
53	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2.49	0.74	1.75
54	57-नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	40.00	0.00	40.00
55	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	22.57	18.08	4.49
56	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	25.00	0.00	25.00
57	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	47.47	0.00	47.47
कुल		13,704.92	7,585.42	6,119.50

परिशिष्ट 2.4

मार्च 2018 में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के प्रत्यर्पण के मामले
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-AU	19.71
2		2401-00-789-AF	14.01
3		2401-00-796-28	12.25
4		2401-00-796-AF	86.18
5		2401-00-796-AF	50.98
6		2401-00-796-AG	17.43
7		2401-00-796-AG	11.00
8		2401-00-796-AJ	13.58
9		2401-00-796-AL	11.87
10		2401-00-796-AU	36.97
11		2401-00-800-AF	41.80
12		2401-00-800-AF	22.95
13		2401-00-102-04	14.07
14		2401-00-195-B3	12.00
15		2401-00-796-96	18.00
16		2401-00-796-B3	24.00
17		2401-00-796-AW	18.90
18		2401-00-796-B1	11.59
19	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-103-88	28.28
20		2403-00-796-84	12.00
21		2403-00-796-88	11.86
22	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-13	11.83
23		2216-05-053-04	13.27
24	10-ऊर्जा विभाग	2801-06-800-01	50.00
25		2801-06-800-02	16.00
26	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	7610-00-201-03	19.44
27		4070-00-003-78	13.45
28	13-ब्याज भुगतान	2049-01-200-02	80.69
29		2049-01-200-08	17.59
30		2049-01-200-11	24.40
31	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-02	11.10
32		3456-00-796-39	47.75
33		3456-00-796-48	10.39
34		3456-00-796-51	38.34
35	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-02-200-27	14.96
36		2210-03-103-03	42.57
37		2210-05-105-12	14.28
38		2211-00-101-01	12.92
39		2210-01-102-54	89.00

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
40	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-103-45	30.68
41		2210-01-103-56	37.00
42		2210-01-109-40	29.95
43		2210-01-110-25	12.20
44		2210-01-110-57	30.00
45		2210-01-789-54	85.00
46		2210-01-796-54	80.00
47		2210-01-796-56	16.00
48		4210-02-796-01	11.23
49		4210-01-796-35	20.00
50	21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-62	22.24
51		2202-03-102-79	13.92
52		2202-03-796-AD	10.50
53	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-001-01	11.70
54		2056-00-101-02	13.26
55		2055-00-110-01	47.28
56		4055-00-207-45	25.25
57		4055-00-207-77	20.00
58	23-उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)	2852-80-102-81	27.00
59		2852-80-796-77	10.78
60		2851-00-796-43	12.00
61	26-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-60-200-07	11.93
62		4250-00-796-01	22.62
63	29- उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग)	2853-02-001-07	19.97
64		2853-02-102-20	10.80
65	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-14	11.15
66	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2245-02-113-02	30.20
67		2245-80-101-16	17.81
68		2245-80-102-01	21.38
69		2245-80-102-02	39.82
70		2245-01-101-01	13.00
71		2245-01-101-02	30.00
72		2245-01-101-06	20.00
73		2245-01-101-07	22.00
74		2245-01-102-01	11.00

75		2245-01-102-02	11.00
76		2245-01-282-01	20.00
77	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2053-00-093-01	12.97
78	41-सड़क निर्माण विभाग	5054-03-337-02	37.69
79		5054-03-796-02	12.02
80	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-796-04	18.68
81		2501-06-101-05	37.18
82		2501-06-101-05	17.84
83		2501-06-796-05	43.04
84	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-796-05	27.23
85		2505-02-101-04	386.07
86		2505-02-101-04	21.47
87		2505-02-789-04	118.19
88		2505-02-796-04	283.64
89		2505-02-796-04	15.77
90		2501-02-101-04	25.42
91		2501-02-101-04	16.95
92		2501-02-796-04	12.45
93		43-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-003-AB
94	2203-00-004-A5		10.80
95	4202-02-105-75		99.09
96	4202-02-796-75		34.84
97	4202-02-105-76		10.20
98	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-001-A8	20.00
99		2203-00-796-A8	22.52
100		2203-00-001-A9	11.15
101		2203-00-001-A9	11.15
102		4202-02-105-70	16.04
103	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2215-01-191-01	10.86
104		2217-80-191-76	22.25
105		2217-80-191-76	33.52
106		2217-80-191-81	40.18
107		2217-80-192-82	13.15
108		2217-80-796-60	13.71
109		2217-80-796-60	12.23
110		2217-80-796-76	14.00

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

111		2217-80-191-83	57.60
112		2217-80-192-84	20.24
113	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	19.12
114		2701-03-001-06	11.89
115		4700-80-789-13	23.98
116		4700-80-796-13	23.05
117		4701-80-796-54	31.81
118		4701-80-796-62	10.53
119		4700-80-796-11	16.00
120		50- जल संसाधन विभाग	2702-02-005-01
121	4702-00-101-18		17.51
122	4702-00-101-20		31.65
123	4702-00-796-18		31.17
124	4702-00-796-20		22.13
125	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-59	35.34
126		2225-01-789-61	16.51
127		2225-02-277-59	15.36
128		2225-02-796-59	31.94
129		2225-02-796-61	21.34
130	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-03-277-12	22.91
131		2225-03-796-23	55.63
132	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-001-05	32.82
133		2404-00-796-05	15.30
134	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	78.05
135		4515-00-789-04	43.83
136	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	20.96
137		2515-00-001-54	21.09
138		2515-00-101-04	14.30
139		2515-00-198-45	146.03
140	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-01	30.77
141		2202-02-109-35	14.30
142		2202-02-110-03	10.77
143		2202-05-200-04	45.45
144		2202-02-109-23	42.50
145		2202-02-789-23	14.50
146		2202-02-796-23	28.00
147		4202-01-789-46	11.77

148		2202-01-102-02	25.81	
149		2202-01-111-25	97.15	
150		2202-01-112-03	12.44	
151		2202-01-112-03	12.67	
152		2202-01-789-25	28.36	
153		2202-01-796-03	18.20	
154	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-796-25	78.03	
155		2202-01-101-57	100.00	
156		2202-01-101-59	42.00	
157		2202-01-789-57	34.00	
158		2202-01-796-57	86.00	
159		2202-01-796-59	45.15	
160		4202-00-796-01	10.75	
161		60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-51	10.25
162			2235-02-102-97	21.92
163			2235-02-796-51	10.94
164	2235-02-796-97		21.36	
165	2236-02-101-02		24.66	
166	2236-02-789-02		11.07	
167	2236-02-796-02		69.69	
168	2236-02-796-02		90.62	
सकल योग			5,388.34	

परिशिष्ट 2.5

पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित

(संदर्भ: कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 50)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की वापसी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की वापसी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
कुल			2,749.87

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।

परिशिष्ट 2.6

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.4.6; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,476.37	838.92	637.45	74.03
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	351.91	215.49	136.42	23.51
3	3-भवन निर्माण विभाग	143.56	100.77	42.79	4.33
4	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	24.36	22.04	2.32	2.29
5	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	210.87	154.34	56.53	5.17
6	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	80.68	43.07	37.61	3.10
7	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	1,311.19	917.62	393.57	35.15
8	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	656.17	591.21	64.96	52.51
9	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,652.62	2,537.70	114.92	866.54
10	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,167.10	1,032.05	135.05	71.43
11	23-उद्योग विभाग	425.71	233.28	192.43	41.25
12	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	229.41	133.60	95.81	12.28
13	27-विधि विभाग	349.19	295.76	53.43	65.86
14	29-खान एवं भूतत्व विभाग	112.98	36.38	76.60	2.75
15	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	368.38	346.53	21.85	3.88
16	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	662.96	523.24	139.72	129.96
17	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	509.42	461.61	47.81	26.38
18	41-सड़क निर्माण विभाग	464.66	291.19	173.47	87.00
19	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5,522.58	3,342.12	2,180.46	53.12
20	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	378.52	312.04	66.48	42.92
21	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	187.99	72.80	115.19	4.42
22	49-जल संसाधन विभाग	392.06	322.63	69.43	1.45
23	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,639.06	1,089.71	549.35	230.67
24	52-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	88.56	69.82	18.74	2.15
25	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	307.74	175.47	132.27	1.24

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

26	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,226.85	1,139.53	87.32	76.96
27	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1,647.22	1,574.95	72.27	154.65
28	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,731.01	1,156.72	574.29	16.33
29	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	6,812.30	5,327.95	1,484.35	219.73
30	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,310.33	2,523.16	787.17	32.13
पूँजीगत (दत्तमत)					
31	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	105.20	88.27	16.93	5.90
32	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	453.35	309.49	143.86	71.65
33	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	70.22	34.62	35.60	9.21
34	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	386.00	332.26	53.74	70.35
35	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	374.00	328.97	45.03	66.78
36	47-पारिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	24.51	16.58	7.93	6.62
37	49-जल संसाधन विभाग	1,494.21	1,230.06	264.15	416.85
38	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	569.65	459.09	110.56	97.83
39	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	239.44	198.91	40.53	127.00
40	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	59.20	43.81	15.39	4.80
पूँजीगत (भारित)					
41	14-ऋणों की वापसी	3,052.17	2,949.50	102.67	5.00
कुल योग (राजस्व + पूँजीगत)		41,269.71	31,873.26	9,396.45	3,225.18

परिशिष्ट 2.7
निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कडिका 2.4.7; पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखाशीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य(+)
1	7-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	2070-00-104-02	1.00	-	(-)4.37
2	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-001-04	50.00	-	(-)3.11
3		2055-00-101-01	38.00	-	(-)2.55
4		2055-00-104-05	180.00	-	(-)202.12
5		2056-00-001-01	6.08	-	(-)2,421.20
6	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-09	52.96	-	(-) 1.75
7		2215-01-102-10	2,897.57	-	(-)700.00
8	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-05	22.00	-	(-)20.61
9		2225-02-796-44	231.00	-	(-)56.61
10	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-03-103-01	380.00	-	(-)30.41
कुल			3,858.61	-	3,442.73
11	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-03	85.00	-	(+)6.34
12	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-01	222.00	-	(+)4.64
13	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	940.00	-	(+)28.00
कुल			1247.00	-	38.98
14	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-02	-	8.79	(+)2.56
15	40- राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2053-00-093-01	-	750.00	(+)10.76
कुल			-	758.79	13.32
16	7-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	2070-00-104-3	1.22	2.22	(-)26.60
17	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-04	56.00	94	(-)15.21
18	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-03	0.16	1,100.16	(+)0.76
19	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-109-01	180.00	1,030.00	(+)272.65
कुल			237.38	2,226.38	231.60

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के दौरान किये गये 100 प्रतिशत ठोस प्रत्यर्पण की समीक्षा के परिणाम

(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	प्रत्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-96	विभिन्न कृषि उपकरणों में सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई पंप सेट सहित	900.00	900.00
2		2401-00-115-B6	लघु सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की योजना	500.00	500.00
3		2401-00-195-B3	ब्याज अनुदान	1,200.00	1,200.00
4		2401-00-796-96	विभिन्न कृषि उपकरणों में सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई पंप सेट सहित	1,800.00	1,800.00
5		2401-00-796-B3	ब्याज अनुदान	2,400.00	2,400.00
6	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-98	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत (एल.एच.एण्ड डी.सी.) खुर व मुँह के रोग का नियंत्रण (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	571.00	571.00
7		2403-00-103-88	400 पॉल्ट्री फेडरेशन द्वारा लेयर पॉल्ट्री फार्मिंग योजना	2,828.00	2,828.00
8		2403-00-106-08	गो सेवा आयोग को अनुदान	500.00	500.00
9		2403-00-789-88	400 पॉल्ट्री फेडरेशन द्वारा लेयर पॉल्ट्री फार्मिंग योजना	547.00	547.00
10		2403-00-796-84	समेकित पॉल्ट्री विकास	1,200.00	1,200.00
11		2403-00-796-88	400 पॉल्ट्री फेडरेशन द्वारा लेयर पॉल्ट्री फार्मिंग योजना	1,186.00	1,186.00
12	10-ऊर्जा विभाग	2801-06-800-01	अटल ग्रामीण ज्योति योजना	5,000.00	5,000.00
13		2801-06-800-02	तिलका माँझी कृषि पंप योजना	1,600.00	1,600.00
14		2801-80-800-09	परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर हेतु अनुदान	500.00	500.00
15		6801-00-202-01	कोल ब्लॉक एवं पावर प्लांट - नयी योजना	700.00	700.00
16	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	4070-00-003-78	कोषागार कम्प्यूटरीकरण	1,345.00	1,345.00
17	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	4408-02-796-02	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम हेतु भवन का निर्माण	500.00	500.00

18	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-102-54	यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना	8,900.00	8,900.00
19		2210-01-103-45	राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी.नियंत्रण कार्यक्रम	3,067.90	3,067.90
20		2210-01-103-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3,700.00	3,700.00
21		2210-01-104-44	लॉग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट (एल.एल.आइ.टी.एन.)	600.00	600.00
22		2210-01-109-40	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (ए.एन.एम/जी.एन.एम. विद्यालय) (के.प्रा.स्कीम- केंद्रांश)	2,995.00	2,995.00
23		2210-01-110-25	आपात चिकित्सा अनुक्रिया सेवा	1,220.00	1,220.00
24	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-57	पी.एम.एस.एस.आई. (केंद्र प्रायोजित स्कीम-केंद्रांश) के अंतर्गत पी.एम.सी.एच. धनबाद में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक	3,000.00	3,000.00
25		2210-01-789-54	यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना	8,500.00	8,500.00
26		2210-01-789-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	700.00	700.00
27		2210-01-796-54	यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना	8,000.00	8,000.00
28		2210-01-796-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	1,600.00	1,600.00
29		2210-02-200-27	राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम- राज्यांश)	920.29	920.29
30		2210-05-105-16	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी.कोर्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	686.65	686.65
31		4210-01-109-38	न्यू फार्मसी इंस्टीट्यूट	500.00	500.00
32		4210-01-110-36	कर्मा, कोडरमा में नया मेडिकल कॉलेज	500.00	500.00
33		4210-01-796-35	एम.जी.एम.एम.सी. कैम्पस में नया अस्पताल भवन	2,000.00	2,000.00
34		4210-01-796-38	न्यू फार्मसी इंस्टीट्यूट	500.00	500.00
35		4210-03-105-04	ए.एन.एम स्कूल भवन निर्माण	800.00	800.00
36		4210-03-200-02	सरकारी यूनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरिडीह और सरकारी होम्योपैथी महाविद्यालय अस्पताल, गोड्डा के भवन का निर्माण	600.00	600.00

37		4210-03-796-07	पी.एम.सी.एच., धनबाद एवं एम.जी.एम.सी.एच., जमशेदपुर में पारा चिकित्सा संस्थान की स्थापना	500.00	500.00
38	21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-796-AD	राँची विश्वविद्यालय, राँची हेतु पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला का उन्नयन, कम्प्यूटर की खरीद के लिए सहायता अनुदान	1,050.00	1,050.00
39	22-गृह, कारा एवं	4055-00-207-43	पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण	800.00	800.00
40	आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-43	पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण	600.00	600.00
41		4055-00-207-45	पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की खरीद	683.00	683.00
42	23-उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)	2851-00-796-43	एन.आइ.डी. अहमदाबाद की सहायता से हैंडलूम विकास संस्थान हस्तशिल्प स्थापना का विकास	1,200.00	1,200.00
43		2852-80-102-83	मुख्यमंत्री संकुल विकास योजना	1,000.00	1,000.00
44		4851-00-796-02	निफ्ट केंद्र की स्थापना	500.00	500.00
45	24-सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-60-796-24	सरकारी कार्यक्रमों हेतु ओ.बी. वाहनों की आउटसोर्सिंग	500.00	500.00
46		2245-01-101-01	निःसहाय व विकलांगों को नकद भुगतान (स्थापना व्यय)	1,300.00	1,300.00
47		2245-01-101-02	खाद्यान्नों की आपूर्ति	3,000.00	3,000.00
48		2245-01-101-06	अन्य कार्य (स्थापना व्यय)	2,000.00	2,000.00
49	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-07	कृषि सहयोग अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलें, 50% से अधिक) स्थापना व्यय)	2,200.00	2,200.00
50		2245-01-101-08	खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु राज्य सहायता (स्थापना व्यय)	800.00	800.00
51		2245-01-102-01	ट्रक और टैंकों द्वारा पेयजल की दुलाई (स्थापना व्यय)	1,100.00	1,100.00
52		2245-01-102-02	पेय जल की आपूर्ति	1,100.00	1,100.00
53		2245-01-282-01	औषधियों की आपूर्ति	2,000.00	2,000.00
54	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-101-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	2,542.26	2,542.26
55		2501-02-101-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	1,695.00	1,695.00
56		2501-02-789-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	778.25	778.25

57		2501-02-789-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	518.88	518.88
58		2501-02-796-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	1,245.00	1,245.00
59	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-001-A9 (CASC)	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	1,115.00	1,115.00
60		2203-00-001- A9(के.प्रा.स्कीम- राज्यांश)	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	1,115.00	1,115.00
61		2203-00-796-92	डाटासेंटर, लैन और पोर्टल	500.00	500.00
62	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-83	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों को अनुदान	5,759.65	5,759.65
63		2217-80-192-84	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों/ नगरपालिकाओं को अनुदान	2,023.53	2,023.53
64		2217-80-193-85	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान	714.73	714.73
65	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-796-11	स्वर्णरेखा परियोजना (ओडिशा/ पश्चिम बंगाल शेयर)	1,600.00	1,600.00
66	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-91	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	1,000.00	1,000.00
67		2225-02-277-97	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	1,000.00	1,000.00
68		2225-02-796-24	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु व्यावसायिक	600.00	600.00
69		2225-02-796-57	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	650.00	650.00
70		2225-02-796-97	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	1,500.00	1,500.00
71		2225-03-277-86	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	1,000.00	1,000.00
72		2225-03-796-86	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	500.00	500.00
73		4225-02-796-39	नक्सल प्रभावित क्षेत्र हेतु आश्रम विद्यालय	605.00	605.00
74	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-70	बछिया पालन कार्यक्रम	590.00	590.00
75		2404-00-102-73	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	756.00	756.00
76		2404-00-102-73	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	504.00	504.00
77		2404-00-102-76 (के.प्रा.स्कीम- केंद्रांश)	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	500.00	500.00
78		2404-00-102-76 (के.प्रा.स्कीम- राज्यांश)	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	500.00	500.00

79	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-101-06	पंचायत भवनों का रखरखाव (स्थापना व्यय)	500.00	500.00
80	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-23	झारखण्ड क्षेत्र हेतु विशेष समेकित योजना के अधीन गैर वित्तीय विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान (इंटर विद्यालयों सहित)	4,250.00	4,250.00
81		2202-02-109-60	झारखण्ड क्षेत्र हेतु आर.एम.एस.ए. योजना के अधीन कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	558.00	558.00
82		2202-02-789-23	झारखण्ड क्षेत्र हेतु विशेष समेकित योजना के अधीन गैर वित्तीय विद्यालयों के लिये सहायता अनुदान (इंटर विद्यालय सहित)	1,450.00	1,450.00
83		2202-02-796-23	झारखण्ड क्षेत्र हेतु विशेष समेकित योजना के अधीन गैर वित्तीय विद्यालयों के लिये सहायता अनुदान (इंटर विद्यालय सहित)	2,800.00	2,800.00
84	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-59	ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा)	4,200.00	4,200.00
85		2202-01-789-59	ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा)	1,785.00	1,785.00
86		2202-01-796-59	ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा)	4,515.00	4,515.00
87		4202-00-201-01	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण	1,000.00	1,000.00
88		4202-00-796-01	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण	1,075.00	1,075.00
कुल				1,43,845.10	1,43,845.10

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	जनवरी से मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 में किया गया व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत		मार्च 2018 में आहरित ए.सी. विपत्र	मार्च 2018 में व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी.) खाते में अंतरित राशि
					जनवरी- मार्च 2018 के दौरान	मार्च 2018 में		
1	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	239.76	224.10	335.66	71.47	66.80	0.00	0.00
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	821.49	634.11	1174.63	70.08	54.10	0.94	0.00
3	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	63.07	58.41	117.84	53.52	49.57	0.50	0.00
4	52-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	65.19	46.60	99.24	65.71	46.97	7.40	0.56
5	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	128.03	81.84	186.51	68.64	43.88	0.00	0.00
6	23-उद्योग विभाग	130.87	109.15	248.78	52.61	43.88	0.00	0.00
7	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2268.60	1067.70	2737.81	87.78	41.31	0.00	0.00
8	47-पारिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	130.01	105.98	267.99	48.51	39.55	0.00	0.00
9	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	316.87	213.24	591.21	54.18	36.46	0.00	0.00
10	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	1338.94	960.97	3021.73	44.75	32.12	0.46	0.00
11	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	20.88	14.49	45.19	46.24	32.09	0.00	0.00
12	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	327.18	326.47	1032.05	31.70	31.63	0.00	0.00
13	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	105.91	69.94	224.59	47.16	31.14	0.00	0.00
कुल		5956.80	3913.00	10083.23	59.08	38.81	9.30	0.56

परिशिष्ट 2.10

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय असमाशोधित रह गया

(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	समाशोधित नहीं की गयी राशि
1	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	369.76
2	आयुक्त सह सचिव 104-राजस्व विभाग, झारखण्ड, राँची	259.02
3	वाणिज्य कर आयुक्त, झारखण्ड, राँची	45.80
4	उत्पाद आयुक्त, झारखण्ड, राँची	11.88
5	सचिव, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार पर्सद, झारखण्ड	411.03
6	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन IV ग्रामीण पुलिस झारखण्ड आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, झारखण्ड, राँची	3,923.37
7	उप सचिव, प्राथमिक व प्रौढ़ शिक्षा, झारखण्ड, राँची	7,510.00
	उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची	360.27
8	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, झारखण्ड, राँची	49.49
9	उप सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	380.33
10	पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशक, मानव संसाधन विकास विभाग	19.16
11	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची	2,256.46
		295.28
12	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	90.47
13	सचिव, पी.एच.ई.डी, झारखण्ड, राँची	1,746.10
14	सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची	1,874.42
15	सचिव, शहरी विकास, झारखण्ड, राँची	1,181.52
		40.00
16	सचिव, कल्याण विभाग, राँची	941.00
	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची.	237.14
17	श्रम आयुक्त, राँची. निदेशक, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची	57.28
	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची	
18	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग, झारखण्ड, राँची	501.51
19	सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची	748.19
20	निदेशक, परिवीक्षा सेवा, झारखण्ड, राँची	16.52
21	उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, झारखण्ड, राँची	459.09
22	सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची	48.08
23	मत्स्य विभाग निदेशालय	49.68
24	सचिव सह आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	328.40
25	सचिव, पशुपालन व मत्स्य झारखण्ड, राँची	18.39
26	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	174.95
27	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	2,895.05
		2,081.74
28	निदेशक, योजना व मूल्यांकन विभाग	277.49
29	महानिरीक्षक (कारा) गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	96.62
30	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, राँची	53.51
31	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची	135.53
32	निदेशक, डेयरी विकास, झारखण्ड, राँची	175.46
33	आयुक्त सह सचिव, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग झारखण्ड, राँची	54.76
34	सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची	4,291.22
35	निदेशक, ऊर्जा, झारखण्ड, राँची	238.89
36	निदेशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची	19.42
37	सचिव, परिवहन व नागर विमानन सह राज्य आयुक्त, झारखण्ड, राँची	100.00
	कुल	34,824.28

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय

परिशिष्ट 2.11
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.7.7; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

राज्य/कार्यालय	शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत
सचिवालय	2501-02-101-06	46.37	46.37	100
	2501-02-101-08	1.73	1.73	100
	2501-02-101-08	1.16	1.16	100
	2501-02-789-06	14.20	14.20	100
	2501-02-789-08	0.53	0.53	100
	2501-02-789-08	0.35	0.35	100
	2501-02-796-06	34.07	34.07	100
	2501-02-796-08	1.27	1.27	100
	2501-02-796-08	0.85	0.85	100
	2501-06-101-14	12.09	12.09	100
	2501-06-101-14	13.87	13.87	100
	2515-00-102-34	0.04	0.04	100
	4515-00-101-43	4.90	4.90	100
	4515-00-102-38	0.18	0.18	100
	4515-00-789-43	1.50	1.50	100
	4515-00-796-43	3.60	3.60	100
		कुल	136.71	136.71
डी.आर.डी.ए., बोकारो	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	4.86	2.98	61
	आई.डब्ल्यू.एम.पी. (डी.ओ.एल.आर.)	1.13	0.27	25
डी.आर.डी.ए., पलामू	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	145.47	36.45	25
	नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-03/16-17	0.85	0.24	28
	2501 (ब्लॉक प्रशासन)	0.65	0.30	46
	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	1.42	0.77	54
डी.आर.डी.ए., गढ़वा	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	32.20	10.17	32
	आई.डब्ल्यू.एम.पी. (डी.ओ.एल.आर.)	2.03	0.82	40
	2501 (ब्लॉक प्रशासन)	0.25	0.11	44
	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	1.02	0.37	36
डी.आर.डी.ए., गिरीडीह	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	60.48	24.43	40
डी.आर.डी.ए., दुमका	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	46.75	16.37	35
	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	0.67	0.26	39
डी.आर.डी.ए., साहेबगंज	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	57.57	21.24	37
	आई.डब्ल्यू.एम.पी. (डी.ओ.एल.आर.)	0.17	0.09	53
	2501 (ब्लॉक प्रशासन)	0.29	0.08	28
	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	0.97	0.46	47
डी.आर.डी.ए., पूर्वी सिंहभूम	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	0.81	0.31	39
	(पी.एम.ए.वाई.-जी.)	36.70	12.15	33
	कुल	394.29	127.87	32
	कुल योग	531.00	264.58	50

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2018 को बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र
(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2016-17 तक (2015-16 तक संस्वीकृत सहायता अनुदान)		2017-18 के दौरान (2016-17 के दौरान संस्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	498	385.76	341	100.28	839	486.04
पशुपालन	662	3,742.69	1,650	4,593.81	2,312	8,336.50
सहकारिता	74	52.58	22	66.89	96	119.47
चिकित्सा	40	24.36	168	140.53	208	164.89
कल्याण	16	816.03	73	806.11	89	1,622.14
कृषि	7,198	1,641.86	546	200.81	7,744	1,842.67
भू राजस्व	134	249.50	211	115.80	345	365.30
शिक्षा	1	0.21	0	0	1	0.21
नगर विकास	5,069	4,444.34	1,168	3,874.39	6,237	8,318.73
अन्य	2,680	10,072.90	840	7,582.74	3,520	17,655.64
कुल	16,372	21,430.23	5,019	17,481.36	21,391	38,911.59

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा संधारित अभिलेखों के अनुसार

परिशिष्ट 3.2

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित
लेखापरीक्षा योग्य
इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 63)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2013-14
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2012-13
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2013-14
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2011-12
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2014-15
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2011-12
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2012-13
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2015-16
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	12/2012
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2015-16
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकुम	राँची	2011-12
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सरायकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2007-08
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	Nil
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2015-16

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2016-17
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	फरवरी-17
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	फरवरी-17
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	दिसम्बर-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	मेदिनीनगर	सितम्बर-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
53	शिक्षा (S&T)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	विमानन	नागर विमानन प्राधिकार, राँची	राँची	2016-17
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (जैप-आई.टी.)	राँची	07/2014
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची	राँची	2015-16
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो	बोकारो	2015-16
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2016-17
61	वन	लाह प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
62	विज्ञान व प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
63	बायोटेक्नोलॉजी	वन में लाह की खेती, डोरण्डा	राँची	2008-09
64	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1.लातेहार 2.गुमला 3.चाईबासा 4.हजारीबाग	1. 2012-13 2. 2012-13 3. 2012-13 4. 2008-09
65	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
66	पशुपालन	क्षेत्रीय मुर्गीपालन केंद्र, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवाएँ समिति, राँची	राँची	2008-09

68	सूचना एवं जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
69	शिक्षा व अनुसंधान	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
70	वन	झारखण्ड जैविक विविधता परिषद, डोरण्डा, राँची	राँची	2016-17
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के. मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2004-05
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के. मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	कला, संस्कृति व खेलकूद	राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति, मोराबादी, राँची	राँची	2008-09

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.3

बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 67)

	शीर्ष	विवरण	2000-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल योग
बकाया	आर.डी.डी.	डी.सी.विपत्रों की संख्या	2311	226	153	164	2854
		राशि	629.12	156.59	200.06	307.57	1293.34
	आई.टी.	डी.सी.विपत्रों की संख्या	10	23	8	0	41
		राशि	21.51	48.23	20.54	0.00	90.28
	कुल (आर.डी.डी. + आई.टी.)	डी.सी.विपत्रों की संख्या	2321	249	161	164	2895
		राशि	650.63	204.82	220.60	307.57	1383.62
बकाया राशि का प्रतिशत (आर.डी.डी.+आई.टी.)			16	51	63	93	27

परिशिष्ट 3.4

लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय	कॉलम 4 से कॉलम 5 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2053	जिला प्रशासन	470.56	129.08	27.43
2	2801	ऊर्जा	4,291.22	846.05	19.72
3	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	56.01	32.32	57.70
4	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.72	0.20	27.78
5	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	642.69	258.89	40.28
6	6801	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	1,760.67	700.00	39.76
कुल			7,221.87	1,966.54	27.23

परिशिष्ट 3.5

लघु-शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' (40 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कॉलम 4 से कॉलम 5 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0701	मध्यम सिंचाई	142.69	142.69	100.00
2	4000	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	25.09	25.09	100.00
3	0801	ऊर्जा	5.61	5.61	100.00
4	0058	स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	4.31	4.31	100.00
5	0404	डेयरी विकास	3.32	3.32	100.00
6	0220	सूचना एवं प्रचार	0.63	0.63	100.00
7	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.11	0.11	100.00
8	0023	होटल प्राप्तियाँ कर	0.01	0.01	100.00
9	0211	परिवार कल्याण	0.01	0.01	100.00
10	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.01	0.01	100.00
11	1055	सड़क परिवहन	0.01	0.01	100.00
12	0059	लोक निर्माण	14.30	14.18	99.16
13	0852	उद्योग	1.14	1.13	99.12
14	1456	सिविल आपूर्ति	14.67	14.54	99.11
15	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	4.44	4.12	92.79
16	1452	पर्यटन	1.07	0.93	86.92
17	1054	सड़कें एवं पुल	73.37	62.24	84.83
18	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	14.22	11.58	81.43
19	0425	सहकारिता	2.37	1.81	76.37
20	0702	लघु सिंचाई	4.63	3.24	69.98
21	0071	पेंशन के संबंध में अंशदान और वसूली	4.77	2.58	54.09
22	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	168.86	86.83	51.42
23	0403	पशुपालन	10.57	5.17	48.91
24	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.06	0.46	43.40
25	0250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	191.83	77.93	40.62
26	0041	वाहनों पर कर	778.37	312.89	40.20
कुल			1,467.47	781.43	53.25

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि}/\text{गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2)*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज } [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूर्ण करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिशील ब्याज के भार और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके तो ऋण धारणीयता और भी सुगम हो सकेगा।

परिशिष्ट - 4.1 जारी..

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट - 4.1 जारी..

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदयाहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्रत्यर्पणों की स्वीकृति को लेखापरीक्षा अधिकारी और/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करना है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. विपत्र	विस्तृत आकस्मिक विपत्र
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
टी.आर.	कुल प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
एम.टी.एफ.पी.	मध्यावधि राजकोषीय नीति
एन.एस.एस.एफ.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर
सी.टी.टी.	केंद्रीय कर अंतरण
जी.आई.ए.	सहायता अनुदान
ओ.टी.आर.	स्वयं का कर राजस्व
एन.टी.आर.	कर भिन्न राजस्व